संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

स्मरण पत्र

ब्लॉक–II, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002
Email ID: diagricg.cg@nic.inPhone No: 0771-2511630

क्र. / PM-Kisan / भौतिक सत्यापन / 09 / 2024–25 / 25 नवा रायपुर, दिनांक 04 / 04 / 2024

प्रति,

उप संचालक कृषि
जिला –..................(सर्व)।

विषय :– **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजनांतर्गत किसानों के पंजीयन बाबत्।**

संदर्भ :– संचालनालय कृषि का पत्र क्र. / PM-Kisan / भौतिक सत्यापन / 09 / 2023–24 / 562 दिनांक 06.03.2024

––00––

विषयांतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजनांतर्गत PM-Kisan पोर्टल अनुसार प्रदेश में **95,731** मृत किसानों की पहचान कर पोर्टल पर अपात्र किया गया है, जिसके संबंध में मृत प्रकरणों (Death Cases) हेतु भू–अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार / उत्तराधिकार की पात्रता का परीक्षण कर पात्रता की स्थिति में योजनांतर्गत पंजीयन की कार्यवाही कर जानकारी संचालनालय कृषि को उपलब्ध कराने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। परन्तु उपरोक्तानुसार जानकारी अद्यतन अपात्र है।

PM-Kisan योजना के प्रावधानानुसार मृत प्रकरण (Death Case) में 01 फरवरी 2019 के पश्चात् पंजीकृत हितग्राही / भूमि स्वामी के मृत्यु फलस्वरूप भू–अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार / उत्तराधिकार को पात्रता अनुसार योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि मृत प्रकरणों (Death Cases) हेतु भू–अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार / उत्तराधिकार की पात्रता का परीक्षण कर पात्रता की स्थिति में योजनांतर्गत पंजीयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे पात्र किसानों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सके एवं कृत कार्यवाही की **साप्ताहिक जानकारी प्रत्येक सोमवार** को निर्धारित प्रपत्र में संचालनालय कृषि को उपलब्ध करावें।

प्रपत्र

क्र.	जिला	मृत प्रकरणों की कुल संख्या	भौतिक सत्यापन के पश्चात्		पात्रता की स्थिति में पोर्टल पर पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही
			पात्र कृषक संख्या	अपात्र कृषक संख्या	

राज्य नोडल अधिकारी
(PM-Kisan) सह
अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

पृ.क्र. / PM-Kisan / भौतिक सत्यापन / 09 / 2024–25 / 26 नवा रायपुर, दिनांक 04 / 04 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग–रायपुर / बिलासपुर / दुर्ग / सरगुजा / बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

C:\Other computer\My Computer\PM KISAN 2021-22\9-Physical Varification\PM- Kisan.docx

अति महत्वपूर्ण

संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़

ब्लॉक–II, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

Email ID: diagricg.cg@nic.inPhone No: 0771-2511630

क्र./PM-Kisan/भौतिक सत्यापन/09/2023–24/562 नवा रायपुर, दिनांक 06/03/2024

प्रति,

उप संचालक कृषि
जिला –....................(सर्व)।

विषय :– प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजनांतर्गत किसानों के पंजीयन बाबत्।

—00—

विषयांतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजनांतर्गत PM-Kisan पोर्टल अनुसार प्रदेश में **95,731** मृत किसानों की पहचान कर पोर्टल पर अपात्र किया गया है। **प्रदेश में राजनांदगांव–10367, बालोद–8299, बस्तर–5565, बलौदाबाजार–4696, दुर्ग–4506, कबीरधाम–4152, जशपुर–4054 एवं सूरजपुर–4010 में मृत किसानों की संख्या सर्वाधिक है** (जिलावार जानकारी संलग्न)।

PM-Kisan योजना के प्रावधानानुसार मृत प्रकरण (Death Case) में 01 फरवरी 2019 के पश्चात् पंजीकृत हितग्राही/भूमि स्वामी के मृत्यु फलस्वरूप भू–अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार/उत्तराधिकार को पात्रता अनुसार योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सकता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान चलाकर मृत प्रकरणों (Death Cases) हेतु भू–अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार/उत्तराधिकार की पात्रता का परीक्षण कर पात्रता की स्थिति में योजनांतर्गत पंजीयन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे पात्र किसानों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सके एवं कृत कार्यवाही से संचालनालय कृषि को अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार /

राज्य नोडल अधिकारी
(PM-Kisan) सह
अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

पृ.क्र./PM-Kisan/भौतिक सत्यापन/09/2023–24/563 नवा रायपुर, दिनांक 06/03/2024

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक कृषि, संभाग–रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

PM KISAN SAMMAN NIDHI

District wise Death Cases Report

06.03.2024

S.no.	DistrictName	Total
1	RAJNANDGAON	10367
2	BALOD	8299
3	BASTAR	5562
4	BALODA BAZAR	5232
5	SURGUJA	4696
6	DHAMTARI	4637
7	DURG	4506
8	KABIRDHAM	4152
9	JASHPUR	4054
10	SURAJPUR	4010
11	RAIGARH	3933
12	MAHASAMUND	3700
13	RAIPUR	3485
14	BILASPUR	3081
15	KANKER	3039
16	KOREA	2923
17	BALRAMPUR	2387
18	KORBA	2348
19	KONDAGAON	2244
20	MUNGELI	2193
21	BEMETARA	2034
22	JANJGIR-CHAMPA	1822
23	SUKMA	1683
24	GARIYABAND	1047
25	BIJAPUR	1039
26	MOHLA MANPUR AMBAGARH CHOUKI	873
27	DANTEWADA	800
28	NARAYANPUR	512
29	SAKTI	342
30	KHAIRGARH CHHUIKHADAN GANDAI	338
31	SARANGARH BILAIGARH	273
32	MANENDRAGARH CHIRIMIRI BHARATPUR	115
33	Gaurella Pendra Marwahi	5
Grand Total		**95731**

सहायक संचालक कृषि
संचालनालय कृषि
छ.ग. रायपुर

III. यदि परिवार के अलग–अलग सदस्यों द्वारा धारित भूमि का क्षेत्रफल दो हैक्टेयर से कम है, परन्तु परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित कुल भूमि का क्षेत्रफल दो हैक्टेयर से अधिक है तो वह परिवार लघु एवं सीमांत किसान परिवार के अंतर्गत नहीं माना जावेगा।

IV. यदि परिवार के द्वारा अलग–अलग ग्रामों मे धारित भूमि का क्षेत्रफल दो हैक्टेयर से कम है, परन्तु उस परिवार एवं उसके सदस्यों द्वारा सभी ग्रामों में धारित भूमि का क्षेत्रफल दो हैक्टेयर से अधिक है, तो वह परिवार लघु एवं सीमांत किसान परिवार नहीं माना जावेगा।

3. पात्रता

निम्नांकित परिवारों को योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवार माना गया है :–

I. लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार जिनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

II. यदि दो या दो से अधिक परिवार राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से भूमि धारण करते हैं तो काल्पनिक बंटवारा पर जिन परिवार/परिवारों के पास दो हैक्टेयर या दो हैक्टेयर से कम भूमि धारण करते हैं, में से प्रत्येक परिवार को पृथक–पृथक लाभार्थी परिवार माना जाएगा। इस संबंध में स्पष्टीकरण के उद्देश्य से कुछ उदाहरण परिशिष्ट 1 में संलग्न है।

III. 01 फरवरी 2019 की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट परिवार ही योजना अंतर्गत लाभार्थी परिवार होंगे, परन्तु 01 फरवरी 2019 के पूर्व हुए अंतरण जिनके संबंध में राजस्व अभिलेख अद्यतन नहीं हुए हैं, के संबंध में राजस्व अभिलेख में बाद में सम्मिलित हुए लाभार्थी परिवार को योजना का लाभ दिया जाएगा। 01 फरवरी 2019 के पश्चात् भूमि स्वामी की मृत्यु पर उत्तराधिकार में हुए अंतरण को छोड़कर अन्य अंतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट किये गये परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

4. अपवर्जन

निम्नांकित में से एक या एक से अधिक वर्गों में आने वाले लघु एवं सीमांत भूमि स्वामी किसान परिवार को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा :–

I. समस्त संस्थागत भू–धारक।

II. यदि परिवार के एक या एक से अधिक सदस्य पूर्व/वर्तमान में संवैधानिक पद धारण करता था/है।